लम्बित वादों की समीक्षा/समयबद्ध
संख्या– 160/दस–1/तेरह–2019

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र. प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक : 10 जुलाई, 2019

विषयः–मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ तथा मा. सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित/लम्बित वादों में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कराये जाने एवं प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक व विधिक बिन्दुओं का पूर्ण समावेश कराते हुए प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कराये जाने एवं शासन/विभाग की ओर से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन/न्याय विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत एवं समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों तथा इस संबंध में शासन के पत्र संख्या–836/46–3–19–58 (51)/2019 दिनांक 09.05.2019 में दिये गये निर्देशों का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि न्याय विभाग के द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के साथ ही साथ निम्न के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश शासन के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09.05.2019 में आप सभी को दिये गये हैं कि:–

(1) मा. उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में योजित/लम्बित वादों में समय से तथा वादों में अन्तर्निहित विषय/बिन्दुओं के संबंध में विभाग द्वारा पूर्ण तथ्यात्मक/विधिक बिन्दुओं का समावेश कराते हुए, समयान्तर्गत प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कराने एवं विभाग की ओर से समुचित प्रतिवाद/प्रभावी पैरवी करने एवं नियमित अनुश्रवण की कार्यवाही की जाय।

(2) योजित/लम्बित वादों में मा. न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित किये जाने वाले आदेशों/निर्देशों के अनुपालन में विभागीय हित को दृष्टिगत रखते हुए अपेक्षित कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय, जिससे मा. न्यायालय के आदेशों की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो।

(3) विभाग/आबकारी आयुक्त के स्तर पर, योजित/लम्बित वादों व उसमें प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में अद्यावधिक (समेकित) सूचना तैयार रखी जाय एवं उसकी सूचना शासन को नियमित रुप से प्रेषित की जाय।

(4) विभाग/कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर, यह भी सुनिश्चित किया जाय कि समस्त वादों में शासन/विभाग की ओर से समयान्तर्गत प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कराते हुए, ऐसे वादों के

संबंध में अपेक्षित कार्यवाही कर दिये जाने एवं विधिकरुप से कोई अपेक्षित कार्यवाही लम्बित/अवशेष नहीं होने के संबंध में "जीरो सार्टिफिकेट", संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित, शासन को प्रत्येक माह नियमित रुप से उपलब्ध करायी जाय, जिससे कि वादों के संबंध में कार्यवाही की अद्यतन स्थिति अभिसूचित रहे।

3— इसी संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि मा. उच्च न्यायालय तथा मा. उच्चतम न्यायालय के साथ ही साथ मा. लोक सेवा अधिकरण, उ.प्र. में अधिक संख्या में योजित हो रही याचिकाओं/वादों में विभाग/राज्य सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखे जाने के साथ ही साथ समयान्तर्गत प्रतिशपथ–पत्र भी दाखिल किया जाना अपेक्षित होता है। प्रायः यह अनुभव किया जा रहा है कि ऐसी याचिकाओं/वादों में, विभाग/शासन की ओर से वादों में अन्तर्निहित बिन्दुओं/विषयों पर वस्तुपरक एवं तथ्यात्मक प्रस्तरवार आख्या प्रभावी ढंग से तैयार नहीं की जा रही है, जिसके कारण शासन/विभाग का पक्ष मा. न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण रुप से प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति विभागीय/शासन हित के अनुरुप नहीं है।

4— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया **प्रश्नगत विषय पर न्याय विभाग/शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का संज्ञान लेते हुए तद्नुसार समुचित कार्यवाही की जाय तथा मा. न्यायालयों में योजित याचिकाओं/वादों में, प्रतिशपथ–पत्र तैयार करते समय समस्त विभागीय हितों के बिन्दुओं का विस्तृत उल्लेख अनिवार्य रुप से करते हुए, सुस्पष्ट तथ्यपरक एवं प्रभावी प्रस्तरवार आख्या तैयार कराकर व उसका जिला/मुख्यालय स्तर पर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर सहित, शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित** करने का कष्ट करें, जिससे कि शासन स्तर पर प्रतिशपथ–पत्र का पैरावाइज नरेटिव (प्रस्तरवार आख्या) से मिलान करने के पश्चात, उस पर अनुमोदन प्रदान किये जाने में स्पष्टता व सुगमता रहें। **इस निर्देश को कृपया अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को भी, अपने स्तर से, अनुपालन हेतु प्रसारित भी कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव

संख्या–1606 (1)ई–1/तेरह–2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
2— संयुक्त सचिव (श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा)/नोडल अधिकारी, आबकारी अनुभाग–2, उ.प्र. शासन।
3— अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
4— आबकारी अनुभाग–1/2, उ.प्र. शासन।
5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव